



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या - 564 राँची, शुक्रवार,

25 नवम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

4 नवम्बर, 2022

आदेश सं०-5/आरोप-1-646/2014 का.-6850--S.P.E.A.R (Society for Protection and Enforcement of Adivasi's Right), राँची द्वारा परिवाद पत्र समर्पित किया गया, जिसमें झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के तीन पदाधिकारी यथा- श्री संदीप बक्सी, श्री राजदीप संजय लाल जॉन एवं श्री विल्सन भेंगरा के विरुद्ध आरोप प्रतिवेदित किया गया कि ये लोग Transplanted Tribal होने के बावजूद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति पा कर कार्यरत हैं। उक्त आदेश के आलोक में उपर्युक्त तीनों पदाधिकारियों का जाति प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से माँग की गई, जिसके आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-18651, दिनांक 09.12.2013 द्वारा श्री संदीप बक्सी एवं श्री राजदीप संजय लाल जॉन का जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया ।

इसी बीच, माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में दायर W.P.(S) No. 2721/2013 संदीप बक्सी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 08.09.2014 को पारित आदेश की प्रति विभाग में प्राप्त हुआ, जिसमें श्री बक्सी के पक्ष में निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्राथमिकता में परीक्षण हेतु Caste Scrutiny Committee को प्रेषित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

उक्त के आलोक में प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त श्री बक्सी एवं श्री जॉन का जाति प्रमाण पत्र की प्रति तथा W.P.(S) No. 2721/2013 में दिनांक 08.09.2014 को पारित आदेश की प्रति जाति छानबीन समिति को भेजकर उनके जाति की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी है।

इस संबंध में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा श्री राजदीप संजय लाल जॉन के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में पारित तार्किक आदेश जापांक-2522, दिनांक 23.08.2022 उपलब्ध करायी गयी है। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् है

“कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के पत्र सं०-106, दिनांक 03.03.1979 के द्वारा तत्समय निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में श्री जॉन को अनुमंडल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या-23, दिनांक 05.05.1982 एवं उपायुक्त, हजारीबाग के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०-05, दिनांक 12.01.1983 को वैध करार दिया जाता है।”

अतः उक्त तार्किक आदेश, जिसमें श्री राजदीप संजय लाल जॉन को निर्गत जाति प्रमाण पत्र को वैध करार दिया गया है, के आलोक में श्री राजदीप संजय लाल जॉन को गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने संबंधी आरोप से संबंधित परिवाद पत्र से मुक्त किया जाता है।

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के अवर सचिव।
